न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 72 / 2017

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 सज्जन सिंह उम्र 60 वर्ष पुत्र मेहरचन्द जाति जाट निवासी मेहाड़ा जाटुवास तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 श्रीमती मन्ना देवी पत्नी रामप्रकाश गुर्जर जाति गुर्जर निवासी चिरानी तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

2 दलीप दत्तक पुत्र कुरड़ाराम जाति जाट निवासी किढ़वाना तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू।

3 इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा कोलीहान नगर जरिये शाखा प्रबन्धक इण्डियन ऑवरसीज बैंक शाखा कोलीहान नगर तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनू।

4 उप पंजीयक खेतड़ी जिला झुंझुनू।

5 राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 23.10.2017
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी बमुकदमा
नम्बर 100/2016 उनवानी सज्जन सिंह बनाम
मन्ना देवी आदि प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अ0 धारा 212 आर.टी.आर एक्ट

उपस्थित

1. श्री राजेश बागोरियां अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री इन्द्रजीत शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः–24.10.2018

मुख्यालय अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 100/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.10.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी अपीलांट ने अप्रार्थी रेस्पोडेंट के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 1485/42, 43 हाल खसरा नम्बर 67,71,1442/71 ग्राम नांगलीय गुजरवास हाल नया राजस्व ग्राम मेहाड़ा गुर्जरवास प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा चाही विचारण न्यायालय ने अप्रार्थी का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज किया। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट के पिता की भूमि थी 2012 से हमारा कब्जा है विचारण न्यायालय में बही की लिखावट पेश की थी दिलीप द्वारा मना देवी को विक्रय करना स्वीकृत है किन्तु नामान्तकरण से अधिकार प्राप्त नही होते है अधिकार मूल वाद में तय होगें उससे पूर्व अपीलांट को कब्जे से बेदखल कर दिया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होगी विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नही कर विधिक भूल की है। अपने कथनों के समर्थन में आर. आर.टी. 2011(2) पेज 868, आर.आर.टी. 2011–12 (Supp.) पेज 662 एंव आर.आर.टी. 2015(2) पेज 1445 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि यदि भाईयों के बीच में गोद का विवाद है तो दावें में तय हो जायेगा विक्रय पत्र निरस्त करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय का है 19.05.2016 के विक्रय पत्र को निरस्त करवाने का कोई दावा पेश नही किया है। कुरड़ाराम अविवाहित था उसने

जीवनकाल में दिलीप को गोद ले लिया। दिलीप के नाम से नामान्तकरण हुआ है नामान्तकरण आज तक चेलेन्ज नही किया गया है अपीलांट का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है। अपीलांट ने कब्जे को भी प्रमाणित नही किया है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है अपील खारिज की जावें।

प्रस्तुत अपील में दिनांक 09.10.2018 को अंतिम बहस सुनी जाकर पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 24.140.2018 को नियत की गई। दिनांक 23.10.2018 को सज्जन सिंह अपीलांट के पुत्र जयप्रकाश ने आदेश 1 नियम 10 सीपीसी. का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी विवादित भूमि पर अपने हक हिस्से पर काबिज काश्त है आवश्यक पक्षकार है अत प्रार्थी को रेस्पोडेंट बनाये जाने का आदेश प्रदान करें। इस न्यायालय द्वारा वर वक्त निर्णय इस आवेदन के कथनों के सम्बंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत अपील में प्रार्थी जयप्रकाश अपीलांट सज्जन सिंह का वारिश होने के आधार पर पक्षकार बनने का अभिवचन करके आ रहा है प्रथम दृष्टया विवादित भूमि पर अपीलांट सज्जन सिंह का ही कोई हक अधिकार प्रतीत नही हो रहा है प्रार्थी जयप्रकाश अपीलांट के फुट स्टेप पर अधिकार पाने का अधिकारी है ऐसी स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा अपील में प्रार्थी आवश्यक पक्षकार प्रतीत नही होता है। अपितु उसके द्वारा यह आवेदन अपील को लम्बित रखने की दृष्टि से प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है अत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व उभय पक्षकारान की और से प्रस्तुत दस्तावेजात से यह स्पष्ट प्रमाणित होता है

कि भूमि खसरा नम्बर 67,71,1442/71 कुल किता 3 कुल रकबा 0.96 हैक्टेयर कुरड़ा मेहरचन्द पुत्र नानग कौमा जाट सा. जाटुवास खातेदार दर्ज रिकार्ड थी उसके बाद जमाबंदी संवत 2069–72 में जरिये नामान्तकरण संख्या 985 दिनांक 21.12.2015 गोदनामा कुरड़ा पुत्र नानग हिस्सा 1/2 जाति जाट के स्थान पर दलीपचन्द पुत्र कुरड़ाराम हिस्सा 1/2 जाति जाट सा. देह की खातेदार में दर्ज हुई तत्पश्चात दलीपचन्द पुत्र कुरडाराम ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 19.05.2016 को अप्रार्थीया श्रीमती मन्ना देवी को अपना 1/2 हिस्से सम्पूर्ण का बेचान कर दिया गया जो विधिनुसार सही है। इससे प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के विरूद्व एवं रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया जाता है। विवादित भूमि पर अपीलांट का न तो कब्जा काश्त प्रमाणित है न खातेदार है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के विरूद्व एवं रेस्पोडेंट के पक्ष में पाया जाता है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रेस्पोडेंट के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करने पर अपूर्णीय क्षति भी रेस्पोडेंट को होना साबित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर विचारण न्यायालय ने अपीलांट का आवेदन खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नही की है। फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 24.10.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

24/10/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर